न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)
मु0न0:– 330/2016
निर्णय दिनांक:–

1. नारायणी देवी धर्मपत्नि जगदीश
2. कमला देवी धर्मपत्नि भंवरलाल जाति जाट निवासी श्रीराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. कजोड पुत्र गोविन्दनारायण जाति जाट नि0 खुरर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. कजोड पुत्र श्रीनारायण जाति जाट नि0 सीतारामपुरा उर्फ लाखोलाई तहसील फागी जिला जयपुर।
3. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री विनय कुमार जैन वकील वादी
श्री सुनील कुमार जोशी वकील प्रतिवादीगण

–:: वाद स्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: निर्णय ::– दिनांक

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 148/178/2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि वाके ग्राम श्रीराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसके वादीनीगण 1/2 हिस्से की रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार है काबिज है व लगान सरकारी अदा करती आ रही है।विवादग्रस्त आराजी वादीनीगण की खातेदारी आराजी है। जिसका प्रतिवादीगण से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है वे वादीनीगण की आराजी पर नाजायज अतिक्रमण कर वादीनीगण को बेदखल करना चाहते है। वादीनीगण अकेली एवं सीधी सादी महिला है जो कानून में अपना पूर्ण विश्वास रखती है जबकि प्रतिवादीगण झगडालू एवं आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है तथा वे संख्यायक एवं भुजबल में अधिक है। जिन्होने एक नाजायज गिरोह बना रखा है। दिनांक 20.04.2013 को जब वादिनीगण वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की आराजी पर खरार करने गयी तो प्रतिवादीगण एक राय होकर वादिनीगण की आराजी पर आये एवं वादिनीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर अतिक्रमण करने की धमकी दी। जब वादीनीगण ने उनका विरोध किया तो प्रतिवादीगण उग्रहो गये एवं वादिनीगण के साथ मारपीट करने लगे। इसलिये वादीनीगण को अपने हक

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

हकूको की रक्षार्थ वाद विरूद्व प्रतिवादीगण दावा स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीनीगण काश्तकार पेशा महिला है जिसकी आजिविका का एकमात्र साधन उक्त आराजी ही है। बाबजूद इसके भी प्रतिवादीगण वादी को उसके हिस्से एवं कब्जे की आराजी से बेदखल करने के उपरोक्त मंसूबो में कामयाब हो गये एवं वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर अतिक्रमण कर लिया तो वादीनीगण को अपूरणीय क्षति होगी एवं वादीनीगण के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। वादीनीगण को वाद कारण दिनांक 20.04.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसके हिस्से एवं कब्जे की आराजी से बेदखल करने एवं अतिक्रमण करने का नाजायज प्रयास करने से उत्पन्न हुआ है इसलिये वाद वादीनीगण अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादीगण की और से श्री सुनील कुमार जोशी उपस्थित हुये तथा वकील प्रतिवादीगण ने वादीनीगण का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2066—2069 वाके ग्राम श्रीराजपुरा में ख0न0 148/178/2 में वादिनीगण रिकोर्डड खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त तथ्यो के विवेचन से हम वादीनीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीनीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 148/178/2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि वाके ग्राम श्रीराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है वादीनीगण के हिस्से की कब्जे काश्त की आराजी में कोई दखलदान्जी नही करें व कब्जे काश्त में मजाहमत नही करे।

निर्णय आज दिनांक 23.5.2017 को केम्प कोर्ट चित्तौडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास– **सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)**

उनवान

नारायणी देवी पत्नि जगदीश जाति जाट निवासीयान ग्राम श्रीराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर वगै0

बनाम

कजोड पुत्र स्व0 श्री गोविन्दनारायण जाति जाट निवासी खुसर तहसील सांगानेर जिला जयपुर वगै0

::– वाद स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 330/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीनीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 148/178/2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि वाके ग्राम श्रीराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है वादीनीगण के हिस्से की कब्जे काश्त की आराजी में कोई दखलदान्जी नही करें व कब्जे काश्त में मजाहमत नही करे।

निज..................मुबलिग..बाबत...खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/5/2017 को जारी की गई।

दस्तखत..................

ओहदा..................

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	Nil		फीस कमीश्नर	Nil	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर